



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 3933 वर्ष 2026

मो. फैज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं 3विरोधी पक्षकारगण
अन्य

आवेदक के अधिवक्ता : परवेज आलम

विरोधी पक्षकारगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता वह नोटिस प्रस्तुत करते हैं, जो परिवादी को वर्तमान मामले की विचाराधीनता के संबंध में सूचित करते हुए दी गई थी। तथापि, परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

उपरोक्त नोटिस अभिलेख पर ली जाती है।

3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 78(2), 351(3), 64(1), 87, 137(2) बीएनएस तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, 11(6)/12 एवं उत्तर प्रदेश विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1), थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ में, उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह कथन किया गया कि विवेचक ने पीड़िता द्वारा धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत दिये गये बयान पर विचार किये बिना आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। तत्पश्चात, विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये। पुरजोर रूप से यह कथन किया गया कि पीड़िता का विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी-1 के रूप में परीक्षण भी किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अभियोजन के कथन से इनकार किया तथा कहा कि आवेदक द्वारा कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि चूंकि पीड़िता का विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण किया जा चुका है, किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अंत में यह कथन किया गया कि निकट भविष्य में विचारण के समापन की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिनांक 19.01.2026 से जेल में है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का अधिकारी है। यह भी कथन किया गया कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना का विरोध करते हैं, किंतु विचारण न्यायालय के समक्ष पीड़िता के अभिसाक्ष्य के आधार पर, वे इस पर विवाद नहीं करते कि उसने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, विचारण न्यायालय के समक्ष अंकित पीड़िता के बयानों एवं मेडिको लीगल आख्या तथा अन्य सुसंगत प्रलेखों का अवलोकन करने पर, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है।

7. प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. आवेदक - **मो. फैज** को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11 वर्ष 2026 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका तथा उतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(1) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा, जिसका वह अभियुक्त है, या संदिग्ध है, अथवा जिसके कारित किये जाने का वह संदिग्ध है।

(2) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(3) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। इस शर्त का पालन न होने की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(4) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 269 बीएनएस के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(5) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तब विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 209 बीएनएस के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(6) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (क) मामले के प्रारंभ, (ख) आरोप विरचन; तथा (ग) धारा 351 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान अंकित किये जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तब विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जायेगा तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय इस विषय में जमानत निरस्तीकरण के संबंध में उचित आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

10 जून, 2026

वी.के.एस.

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।